कार्यकारी सार

1. प्रस्तावना

भारत में निजी क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और उत्पादन (ई और पी) भारत सरकार के 1991 के निर्णय से संबंधित है, जब विदेशी और निजी क्षेत्र कम्पनियों को तेल और गैस क्षेत्रों के विकास में सहभागिता हेतु आमंत्रित किया गया था, जिन्हें (राष्ट्रीय तेल कम्पनियों) और शेष (एनओसीज़) द्वारा खोजा या आंशिक रूप से विकसित किया गया था। नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनइएलपी) हाईड्रोकार्बन की खोज और उत्पादन में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र कंपनियों दोनों को समान अवसर प्रदान करने के लिए 1997-98 के दौरान भारत सरकार (जोओआई) द्वारा तैयार की गई थी। फरवरी 1999 से एनइएलपी लागू हुई। तब से, केवल प्रतियोगितात्मक बोली प्रणाली के माध्यम से अन्वेषण के लिए लाइसेंस प्रदान किए जा रहे है। एनइएलपी के अंतर्गत, एनओसीज़ को पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंसों (पीइएलज़) को प्राप्त करने के लिए भारतीय और विदेशी कंपनियों के साथ समान स्तर पर प्रतियोगिता करने की आवश्यकता है। 31 मार्च 2014 तक, भारत सरकार ने गहरे पानी, छिछले पानी और तटीय श्रेणी के विभिन्न बेसिनों में अन्वेषण ब्लॉकों हेतु बोली के लिए कम्पनियों को आमंत्रित करते हुए 1999 और 2010 के बीच नौ राऊडं घोषित किये।

देश के आर्थिक विकास में हाईड्रोकार्बन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका और दीर्घावाधि नीति अर्थात 2025 तक भारतीय तलछटी बेसिनों के 100 प्रतिशत अन्वेषण के मद्देनजर हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के लिए, मार्च 2000 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाईड्रोकार्बन विज़न 2025 तैयार किया।

आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) के हाईड्रोकार्बन अन्वेषण प्रयास (2009-10 से 2013-14 पर उपर्युक्त पृष्ठभूमि के प्रति एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा ने यह देखने का प्रयास किया कि क्या ओआईएल के अन्वेषण प्रयास अपना और राष्ट्र के परिकल्पित हाईड्रोकार्बन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुचित योजना व दक्षता और प्रभावकारिता के साथ कार्यान्वित किए गए थे । मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष और सिफारिशें इस प्रकार है:

2. मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष

हाईड्रोकार्बन रिजर्व संचयन के लिए ओआईएल के प्रयास

2.1 हाईड्रोकार्बन रिजर्व की निवल वृद्धि केवल संभावित श्रेणी के अंतर्गत थी। रिजर्व अनुमान का कार्य 1967 से ओआईएल की इन हाऊस टीम के द्वारा किया गया था। यद्यपि, 2पी (प्रमाणित एवं संभावित रिज़र्व) श्रेणी के तेल रिज़र्व में वृद्धि हुई, यह 1पी

(अर्थात प्रमाणित) श्रेणी के अंतर्गत कम हुआ था। 3पी (अर्थात संभव) श्रेणी के अंतर्गत तेल रिज़र्वों की कमी होना अन्वेषण गतिविधियों द्वारा नये क्षेत्रों के न जोड़ने को दर्शाता है। सभी श्रेणियों के अंतर्गत 2009-10 से 2013-14 तक गैस रिज़र्व में कमी आई है। इस प्रकार, ओआईएल ने हाईड्रोकार्बन क्षेत्र के भावी सतत विकास के लिए आवश्यक रिज़र्वों को साबित करने में कम निष्पादन किया। **(पैरा 3.1)**

2.2 वर्ष के दौरान ड्रिलिंग के लिए योजनाबद्ध और विगत वर्ष के सफल अन्वेषण ड्रिलिंग के कुल अन्वेषण कुओं की कुल संख्या के मद्देनजर रिजर्व अभिवृद्धि लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है। भारत में, ओआईएल की मुख्य अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियाँ असम और असम-अराकान और राजस्थान में की गई। असम और असम-अराकान में वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान, रिज़र्व अभिवृद्धि के संबंध में मूलत: कमी की प्रवृत्ति थी। ओआईएल ने विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्थान में रिज़र्व अभिवृद्धि के लिए अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं किये। लक्षित मात्रा का केवल 59 प्रतिशत कुल रिज़र्व अभिवृद्धि था। **(पैरा 3.2)**

2.3 रिज़र्व प्रतिस्थापन अनुपात (आरआरआर) नये रिज़र्व अभिवृद्धि और उत्पादित तेल के बीच संबंध को आंकता है। जो कि दर्शाता है कि एक तेल कंपनी अपने उत्पादन को कितने अच्छे से प्रतिस्थापन में बदलती है। यद्यपि 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान असम और असम-अराकान में ओआईएल ने 1 से अधिक आरआरआर प्राप्त की, फिर भी अंतिम रिज़र्व अभिवृद्धि में कमी की प्रवृत्ति ही देखी गई। परिणामस्वरूप, आरआरआर में 2009-10 में 1.84 से 2013-14 में 1.31 तक कमी की प्रवृत्ति देखी गई। **(पैरा 3.3)**

2.4 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान नामांकन अवधि[1] के अंतर्गत असम और असम - अराकान में ओआईएल ने 33 हाईड्रोकार्बन खोजें की जिसमें मुद्रीकृत की जाने वाली चार खोजें भी शामिल हैं। मुद्रीकरण के लिए लंबित चार खोजों में से, तीन खोजें वर्तमान में तकनीकी - आर्थिक रूप से क्षेत्र विकास के लिए अच्छी नहीं थी और एक खोज अभी भी प्रोत्साहन के लिए प्रतीक्षित है। **(पैरा 3.4)**

2.5 एनइएलपी में, ई और पी क्षेत्र में तकनीकी अनुभव वाली एक एनओसी होने के बावजूद भी, ओआईएल का निष्पादन उद्योग पिअर्स में पिछड़ गया। एनइएलपी अवधि के दौरान कुल खोजों में से, ओआईएल ने राजस्थान में पूनम कुएं में केवल एक खोज

[1] 1997 में नई अन्वेषण लाइसेंस निति के आरंभ होने से पहले, राष्ट्रीय तेल कंपनियां जैसे ओएनजीसी और ओआईएल को नामांकन आधार पर अन्वेषण हेतु ब्लॉक प्रदान किये गये थे और उन्हें ''नामांकन ब्लॉक'' कहा जाता है।

की जिसे अभी भी मुद्रीकृत (अप्रैल 2015) किया जाना है जबकि यह खोज जुलाई 2012 में की गई थी। **(पैरा 3.4)**

सर्वेक्षण प्रक्रिया में दक्षता और मितव्ययिता

2.6 ओआईएल 2 वर्षों का छोड़कर संशोधित योजना लक्ष्य के संबंध में 2डी सर्वेक्षण के अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका। इसी प्रकार, यह 3डी में 3 वर्षों के अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका। ओआईएल ने योजना आयोग के बारहवीं पंच वर्षीय योजना के लक्ष्यों से पहले दो वर्षों में दोनों 2डी और 3डी में लक्ष्यों को बहुत अधिक कम कर दिया। **(पैरा 4.1)**

2.7 इन हाऊस सर्वेक्षण कार्य करने के लिए ओआईएल द्वारा समयबद्ध अधिग्रहण, प्रसंस्करण एव व्याख्या संपूर्णता के लिए कोई नियम बनाये/निर्धारित नहीं किये गये। नियमों के अभाव में, ओआईएल द्वारा सर्वेक्षण कार्य की समय-बद्धता पर कोई नियंत्रण नहीं रखा जा सका। 10 पूर्ण किये गये सर्वेक्षण निर्माण कार्यों के संबंध में, एपीआई चक्र पूरा करने के लिए 472 और 2005 दिनों के बीच समय लिया गया और चालू कार्यों के 13 सर्वेक्षण के संबंध में, डाटा की प्राप्ति/प्रसंस्करण पूरा होने के बाद 330 दिनों से 2069 दिनों तक भी निर्माण कार्य अपूर्ण थे। आऊटसोर्स सर्वेक्षण के मामले में, जांचे गये 12 संविदाओं में से 9 संविदाओं (75 *प्रतिशत*) में 1 महीने से 20 महीनों के बीच का समय लिया गया। **(पैरा 4.2.1 और 4.2.2)**

2.8 सर्वेक्षण संविदा की जांच से ठेकेदार को अवांछित लाभ, अपूर्ण कार्य योजना के प्रति जुर्माने का भुगतान और मूल्य वृद्धि के बिना सर्वेक्षण कार्यों पर व्यय के कारण संविदा में कमियों का भी पता चला। **(पैरा 4.3)**

ड्रिलिंग ऑपरेशन में दक्षता और मितव्ययिता

2.9 अन्वेषण ड्रिलिंग में, 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान अन्वेषण कुओं की ड्रिलिंग में काफी कमी हुई थी। विकसित ड्रिलिंग में, 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान कुओं की ड्रिलिंग में काफी अधिक कमी हुई थी। ओआईएल विकसित ड्रिलिंग (48 से 66 प्रतिशत के बीच) पर अधिक और अन्वेषण ड्रिलिंग (34 से 52 प्रतिशत के बीच) पर कम निर्भर थी जिसके परिणामस्वरूप विकसित ड्रिलिंग की अपेक्षा अन्वेषण ड्रिलिंग में कमी आई। अन्वेषण प्रयासों को कम प्राथमिकता देने के कारण हाईड्रोकार्बन विजन 2025 तक परिकल्पित हाईड्रोकार्बन के नये क्षेत्र जोड़ने के संपूर्ण उद्देश्य को कमजोर कर दिया। **(पैरा 5.1.1.1)**

2.10 ड्रिलिंग रिगों की दक्षता वाणिज्यिक गति और चक्र गति के आधार पर ऑकलित की जाती है। 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान अपनी और किराये पर ली गई रिगों की वाणिज्यिक गति और चक्र गति में असामान्य उतार-चढ़ाव थे, जबकि रिगों की संख्या समान थी। ओआईएल ने अपनी रिगों की वाणिज्यिक गति और चक्र गति के लिए कोई नियम निर्धारित नहीं किये थे और किराये पर ली गई रिगों के लिए भी उक्त को निर्धारित और संविदा में नहीं जोड़ा गया। **(पैरा 5.1.1.3)**

2.11 स्वयं की रिगों के मामले में गैर-उत्पादन समय (एनपीटी) का प्रतिशत 2009-10 में 31 प्रतिशत से 2013-14 में 39 प्रतिशत तक बढ़ गया। चार्टर्ड किराये की रिगों के मामले में, एनपीटी का प्रतिशत 2009-10 में 19 प्रतिशत से 2013-14 में 45 प्रतिशत तक बढ़ गया। यद्यपि एनपीटी के लिए ओएनजीसी नियम 10 प्रतिशत से कम था और अंतर्राष्ट्रीय नियम 5 प्रतिशत से कम था, ओआईएल के अपनी रिगों का औसत वास्तविक एनपीटी 40 प्रतिशत था और चार्टर्ड किराये की रिगों का 35 प्रतिशत था। ओआईएल द्वारा एनपीटी के नियम अभी तक भी निर्धारित नहीं किये हैं। 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान अपनी वर्कओवर रिगों का एनपीटी 7 और 13 प्रतिशत के बीच था और चार्टर्ड किराये के वर्कओवर रिगों का एनपीटी 5 और 18 प्रतिशत था। **(पैरा 5.1.1.4)**

2.12 उत्पादन जांच में विलम्ब के कारण रिगों को प्रयोग कम किया गया और मीटरेज की हानि के कारण एनपीटी में वृद्धि हुई। 59 कुओं (अपनी रिग द्वारा ड्रिल किये गये 30 कुएं और चार्टर्ड किराये की रिग द्वारा ड्रिल किये गये 29 कुएं) में, ओआईएल योजना के अनुसार उत्पादन जांच को पूरा करने में विफल रही। उत्पादन जांच को पूरा करने में विलम्ब 9 और 94 दिनों के बीच था। 31 मार्च 2014 तक कुओं की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, 8 कुओं में, दो से चार वर्षों के बाद भी, उत्पादन जांच अपूर्ण थी। 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान अपनी रिगों के मामले में उत्पादन जांच के लिए कुल विलम्ब 1005 दिनों का था और चार्टर्ड किराये की रिगों के लिए 980 दिनों का था। उत्पादन जांच में विलम्ब के कारण चार्टर्ड किराये की रिगों के प्रति ठेकेदार के रक्षित प्रभारों के 29 मामलों में ओआईएल ने ₹ 88.02 करोड़ अदा किये। **(पैरा 5.1.1.5)**

2.13 विभिन्न कारकों जैसे उपयोग, अनुरक्षण आदि पर आधारित ड्रिलिंग रिग का आदर्श जीवन समय 20 और 25 वर्षों के बीच है। 31 मार्च 2014 तक इन हाऊस ड्रिलिंग रिगों का विशिष्ट समय 9 और 36 वर्षों के बीच था। इसी प्रकार, मौजूदा 13 इन-हाऊस वर्क ओवर रिगों में से, 9 वर्क ओवर रिगों का विशिष्ट समय 25 और 35 वर्षों के बीच था तथा 4 वर्क ओवर रिगों का विशिष्ट समय 5 और 25 वर्षों के बीच था। चूँकि ओआईएल बहुत अधिक पुराने उपस्करों के बेड़े के साथ कार्य

कर रहा था, इसने ओआईएल की अन्वेषण ड्रिलिंग को अधिक एनपीटी के साथ प्रभावित किया। **(पैरा 5.1.1.6)**

2.14 ओआईएल ने किराये की रिगों पर निर्भरता कम करने के लिए ड्रिलिंग रिग खरीदने के लिए दिसम्बर 2010 तक कोई कार्रवाई नहीं की। ओआईएल द्वारा ड्रिलिंग रिगों की अंतिम खरीद केवल पुरानी ड्रिलिंग रिगों के प्रतिस्थापन के लिए 2006 में की गई थी। ड्रिलिंग रिगों की खरीद/आरंभ करने के लिए दिसम्बर 2010 में ओआईएल की बाद की कार्रवाई विधिक विवाद के कारण और रिग ढोने वाले वाहन की दुर्घटना के कारण मूर्त रूप नहीं ले पाई। इस प्रकार ओआईएल अब भी किराये की रिगों पर निर्भर है। **(पैरा 5.2.1)**

2.15 अपनी रिगों और चार्टर्ड किराये की रिगों को प्राप्त करने के लिए ठेकों के प्रबंधन की समीक्षा करते हुए, लेखापरीक्षा ने रिगों की खरीद में अतिरिक्त विलम्ब, चार्टर्ड किराये की रिगों पर अत्यधिक निर्भरता, रिगों के संघटन के लिए परिहार्य अनुमत समय, ठेके की शर्तों और अनुबंधन का उल्लंघन, रिगों का बेकार पड़े रहना आदि पाया। ओआईएल द्वारा रिगों की खरीद में उत्पादक की अपेक्षा आपूर्तिकर्त्ता को प्राथमिकता दी गई जिसमें पारदर्शिता का अभाव था। इसके अतिरिक्त, इसके सीवीसी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए नया आदेश न करते हुए ड्रिलिंग रिगों की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्त्ता को एक खरीद आदेश दे दिया गया। इसने ठेके को अंतिम रूप दिये जाने के बाद रिग की विशिष्टताएं बदलने के लिए आपूर्तिकर्त्ता को अनुमति प्रदान की। अन्य मामले में, ओआईएल ने नये निविदा में भाग न लेकर प्रतियोगितात्मक दर को प्राप्त करने से स्वयं को वंचित कर लिया। **(पैरा 5.2.2)**

अन्वेषण प्रयासों की प्रभावशीलता

2.16 नामांकन दौर के अंतर्गत, ओआईएल को 1985 से 1999 तक की अवधि के दौरान 16 ब्लॉकों में पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल) की अनुमति प्रदान की गई। 2013-14 को समाप्त विगत पांच वर्षों के दौरान, ओआईएल ने पीईएल से पीएमएल में केवल दो ब्लॉकों को बदला, वह भी आंशिक था। पांच प्रचालित पीईएलज़ में से ओआईएल ने तीन ब्लॉकों (डिब्रुगढ, तिनसुकिया और देवमाली), जिनके संबंध में डीजीएच का अनुमोदन प्रतीक्षित (दिसम्बर 2014) था, में वृद्धि के लिए आवेदन किया। शेष दो पीईएल ब्लॉक (जयरामपुर एक्स. और नामचिक पीईएल) जो कि मई 1990 और अप्रैल 1999 में आबंटित किये गये, ओआईएल ने दो स्थानों पर ड्रिलिंग का कार्य शुरू किया। ओआईएल के पास 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान प्रचालन के अंतर्गत 22 पीएमएल ब्लॉक थे, जिनमें से पांच ब्लॉक पीएमएल में परिवर्तित किये जाने

के बाद 4 से 14 वर्षों तक खाली पड़े रहे, जहां पर कारण ओआईएल के नियंत्रण में थे। **(पैरा 6.1.1 और 6.1.3)**

2.17 राऊडं-IX तक, जीओआई ने 360 अन्वेषण ब्लॉक प्रस्तावित किए, जिनमें से 254 ब्लॉक 31 मार्च 2014 तक प्रदान किए गये थे। ओआईएल ने सभी नौ एनईएलपी राऊंडों में भाग लिया और 67 ब्लॉकों के लिए बोली प्रस्तुत की और अकेले या समूह के रूप में 40 ब्लॉक प्राप्त किये। प्राप्त 40 ब्लॉकों में से, 11 ब्लॉकों में ओआईएल ने प्रचालक के रूप में कार्य किया और 6 छोड़े गये ब्लॉकों के संबंध में वर्ष 2009-10 से 2013-14 के बीच अधूरा न्यूनतम काम कार्यक्रम के प्रति ₹ 68.63 करोड़ एलडी का भुगतान किया। एनइएलपी राऊडों में सहभागिता का प्रतिशत राऊड-IX को छोड़कर काफी कम था जहां ओआईएल ने पेश किए गए ब्लॉको में से 50 प्रतिशत ब्लॉकों हेतु बोली प्रस्तुत की । **(पैरा 6.2.1 और 6.2.3)**

2.18 संबंधित राज्य सरकार द्वारा पीईएल के मंजूरी में विलम्ब से अन्वेषण प्रक्रिया में भी विलम्ब हुआ। ब्लॉक (केजी-ओएनएन-2004/1) हेतु पीएससी मार्च 2007 में हस्ताक्षरित किया गया था, जबकि, आंध्र प्रदेश में 511 वर्ग कि.मी. क्षेत्र के लिए पीईएल पीएससी के हस्ताक्षर किये जाने से 350 दिनों के अंतराल के बाद फरवरी 2008 में अनुमोदन दिया गया और पुदुच्चेरी में 38 वर्ग कि.मी. क्षेत्र के लिए पीइएल पीएससी के हस्ताक्षर किये जाने से तीन वर्षों से अधिक अंतराल के बाद जून 2010 में अनुमोदन दिया गया। **(पैरा 6.3.1)**

2.19 ब्लॉकों के अन्वेषण में विलम्ब हुआ था और एनईएलपी राऊडं की प्रस्ताव सूची में शामिल होने या नामांकन पूर्व एनइएलपी अवधि के अंतर्गत ब्लॉकों को दिये जाने के लिए ब्लॉकों के तैयार किये जाने से पहले विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मंजूरी प्राप्त न किये जाने के कारण अन्वेषण चरण में योजना बद्ध एमडब्ल्यूपी अपूर्ण थे। इसके कारण ओआईएल उनकी विशेषज्ञता (अर्थात अन्वेषण और उत्पादन) के क्षेत्र पर पूर्णत: ध्यान केंद्रित करने में विफल रहा। सात ब्लॉकों में ओआईएल के अन्वेषण प्रयास संबंधित मंत्रालयों/विभागों से मंजूरी प्राप्ति में विलम्ब या मंजूरी की अनुपलब्धता के कारण रोके गये थे। **(पैरा 6.3.2)**

2.20 चूक के मामले में इनईएलपी ब्लॉकों की समयबद्ध पूर्णता और जूर्माने के भुगतान के प्रति ओआईएल की अन्वेषण गतिविधियों के लिए एमओयू में दिये गये महत्व शून्य थे। घरेलू क्षेत्रों में भूकंपीय सर्वेक्षण और कुओं की ड्रिलिंग के संबंध में एमओयू के मानदंडों को एमओयू में देय महत्व नहीं दिया गया था। 2011-12 से एमओयू लक्ष्य से भूकंपीय सर्वेक्षणों को हटा दिया गया था। इसके अतिरिक्त, एनइएलपी के अधीन कुओं की ड्रिलिंग के लिए मानदंड 2013-14 से एमओयू लक्ष्य से हटा दिये गये थे। **(पैरा 6.3.3)**

2.21 ओआईएल ने उन्हीं क्षेत्र में इनईएलपी ब्लॉकों के लिए बोली भी लगाई जहां इसने तार्किक बाधाओं/कारकों के लिए पूर्व पीइएल ब्लॉकों को छोड़ दिया गया था। यह भी देखा गया कि दो पीईएल ब्लॉकों जिन्हें ओआईएल द्वारा छोड़ दिया गया था, पूर्व एनइएलपी/एनइएलपी समय के अंतर्गत निजी प्रचालकों द्वारा हाइड्रोकार्बन की खोज की गई थी। **(पैरा 6.4.1 और 6.4.2)**

अन्वेषण गतिविधियों की निगरानी

2.22 ओआईएल 2009-10 से 2012-13 तक सभी वर्षों में संपूर्ण बीई का उपयोग करने में सक्षम नहीं थी। 2013-14 में, सर्वेक्षण और अन्वेषण ड्रिलिंग के अंतर्गत व्यय बीई से कम था जबकि कुल व्यय संयुक्त उद्यमों में निवेश में वृद्धि के कारण बीई से अधिक हो गया था। सभी पांच वर्षों के लिए, सर्वेक्षण और अन्वेषण ड्रिलिंग व्यय 13 से 40 प्रतिशत तक बीई से कम था। **(पैरा 7.1.1)**

2.23 प्रौद्यौगिकी प्रगति और उपयोगिता के साथ-साथ चलने के लिए और ग्लोबल अन्वेषण और उत्पादन उद्योग में प्रौद्योगिकी रूप से अग्रिम रहने के लिए हाईड्रोकार्बन विज़न 2025 के साथ-साथ 2025 तक भारतीय तलछट बेसिनों का 100 प्रतिशत अन्वेषण कवरेज भी शामिल था। आर और डी गतिविधियों पर वास्तविक व्यय 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान सभी वर्षों में बीई से कम था, इतनी अधिक विभिन्नता के कारण रेकार्ड पर नहीं मिले। **(पैरा 7.1.2)**

2.24 अन्वेषण समूह में भूभौतिकी, भूगर्भीय और जलाशय और ड्रिलिंग विभाग होता है जो ओआईएल की अन्वेषण गतिविधियों में मुख्य भूमिका निभाता है। अन्वेषण गतिविधियों में इसके महत्व के बावजूद इन विभागों में श्रमबल की कमी थी। **(पैरा 7.2)**

2.25 ओआईएल में महा-प्रबंधक की अध्यक्षता के अधीन आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है जो निदेशक (वित्त) को रिपोर्ट करता है। 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान, जीएम (आईए) का पद रिक्त था और आईए विभाग ने प्रत्यक्ष रूप से निदेशक (वित्त) को रिपोर्ट किया। आदर्शरूप से, आईए विभाग का कार्य स्वतंत्र होना चाहिए और प्रत्यक्ष रूप से सीएमडी को रिपोर्ट किया जाना चाहिए, इसके विपरीत, ओआईएल का आईए विभाग निदेशक (वित्त) को रिपोर्ट कर रहा था। **(पैरा 7.3)**

2.26 संविदा नियमावली समय पर सामान और सेवाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से ठेका प्रक्रियाओं के विभिन्न चरणों के लिए समय-सीमा को विनिर्दिष्ट नहीं करती। इसमें कार्य करते समय टूट-फूट या ड्रिलिंग यूनिट/सब-सरफेस यंत्र/ठेके के उपस्करों के नुकसान के मामले में उत्तरदायित्व निर्धारित करने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश भी शामिल नहीं थे। संबंधित विभाग द्वारा तैयार किये गये ठेके को देने के लिए

कार्यक्रम की कोई समयावधि नहीं थी। ओआईएल ने निविदा को अंतिम रूप देने और ठेके को देने के लिए कोई नियम निर्धारित नहीं किये थे। परिणामस्वरूप, ठेके को समय पर देने को सुनिश्चित किये जाने का कोई नियंत्रण तंत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त, संविदा नियमावली अक्तूबर 2009 से अद्यतित नहीं की गई थी। **(पैरा 7.5)**

3. सिफारिशें

ओआईएल के साथ-साथ एमओपीएनजी यह सुनिश्चित कर सकता है कि ओआईएल का मुख्य बिजनेस अर्थात अपस्ट्रीम एनओसी के रूप में हाईड्रोकार्बन अन्वेषण को प्राथमिकता दी जाए जिसके लिए सिफारिशें नीचे दी गई हैं:

- ओआईएल रिज़र्वों की 3पी से 2पी और 2पी से 1पी श्रेणी में आनुपातिक उन्नयन द्वारा रिज़र्वों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक क्षमता का निर्माण कर सकती है।
- ''वसूलीयोग्य रिज़र्वों के लिए अभिवृद्धि'' के लिए एमओयू में दिये गये महत्व को अन्वेषण की मुख्य गतिविधि को अधिक महत्व देने के लिए एमओपीएनजी द्वारा बढ़ाया जा सकता है।
- एपीआई चक्र के लिए प्रतिमान बनाया जा सकता है और निष्पादन पैरामीटरों के साथ जोड़ा जा सकता है। अन्वेषण के सामयिक पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए ओआईएल अपने सर्वेक्षण ठेको को निकट से मॉनीटर कर सकता है।
- एमओपीएनजी को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए कि एनओसीज़ उनके लिए नियत अन्वेषण लक्ष्यों को पूरा कर सके।
- ओआईएल, विशिष्ट रिगों, ड्रिलिंग और वर्कओवर दोनों की प्रतिस्थापना के लिए अपनी खरीद योजना को समय पर अंतिम रूप दे सकती है।
- ओआईएल को संभावित ब्लॉकों के लिए प्रतियोगात्मक एनइएलपी अवधि में प्रचालन सक्षम होने के लिए और न्यायसंगत रूप से बोली लगाने के लिए अपने अनुभव और संसाधनों का उपयोग करने के योग्य होना चाहिए।
- ब्लॉकों को पूर्णत: अन्वेषण के लिए और निर्णीत हर्जानों से बचने के लिए ओआईएल को एमडब्ल्यूपी समय सारणियों का पालन करना चाहिए।
- एमओपीएनजी द्वारा ब्लॉकों को दिये जाने से पहले अन्वेषण गतिविधियों को करने के लिए मंजूरी उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए।
- कमियों से बचने के लिए बजट की उपयोगिता पर उचित निगरानी की आवश्यकता है।
- ओआईएल को अपनी आरएंडडी गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए और विशेषत: इस बात को ध्यान में रखकर कि वह एक कैश रिच कंपनी है; नई प्रौद्योगिकी के बराबर रहना चाहिए।

- ओआईएल तकनीकी विभागों के साथ-साथ आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग में कार्यकारियों की भर्ती पर अपनी कार्रवाई जल्द करनी चाहिए।
- संविदा नियमावली को अद्यतित किया जाना चाहिए और सीवीसी दिशा-निर्देशों, वित्तीय विवेक के सिंद्धातों के अनुसार ठेके दिये जाने की आवश्यकता है और ठेके के कार्यान्वयन की निगरानी को और अधिक कड़ा किया जाना चाहिए।
- ओआईएल के रिपोर्टिंग तंत्र को एमआईएस स्थापित करने और बीओडी में पराकाष्ठा पर विभिन्न निकायों द्वारा उनकी निगरानी के लिए सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है।